पत्र सख्या-चेक पोस्ट-शाखा पंजीयन जॉच //09-10/ 091.0086 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 06 फरवरी, 2009

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /एडीशनल कमिश्नर(वि0अनु0शा0)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्यपालक)/डिप्टी कमिश्नर/

असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि एक जनपद में पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे जनपद में शाखा खोलकर वहॉ से संवेदनशील वस्तुओं की खरीद / बिक्री करना प्रदर्शित किया जाता है। संबंधित फर्म द्वारा ट्रांजिट डिक्लेरेशन फार्म की आड़ में प्रान्त बाहर से लोहा / सरिया खरीद करके प्रान्त बाहर बिक्री हेतु लोहा / सरिया भेजना घोषित करके उक्त माल को प्रान्त में ही उतार कर बिक्री किया जाना पाया गया है। संग्रहीत किये गये बिलों के आधार पर भी ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें संवेदनशील वस्तुओं की प्रान्त बाहर से खरीद के संबंध में कोई प्रपत्र-38 प्रयोग किये जाने की सूचना संबंधित खण्ड कार्यालयों में नहीं दी गयी है। इससे स्पष्ट है कि कतिपय करापवंचन तत्वों द्वारा दूसरे जोन में शाखा खोलकर संवेदनशील वस्तुओं पर मिलने वाले कर की अपवंचना की जा रही है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि संवेदनशील वस्तुओं से संबंधित एक जनपद में पंजीकृत व्यापारी द्वारा यदि दूसरे जनपद में शाखा खोलने हेतु प्रार्थना पत्र वैट अधिनियम की धारा-75 तत्संबंधित नियम-33 के अन्तर्गत प्रपत्र-7 या 7 जी में भरकर प्रपत्र-12 के साथ वैट नियमावली के नियम-32 उपनियम-13 के अन्तर्गत दिया जाता है तो जिस स्थान पर शाखा खोली जानी है उस क्षेत्र की वि0अनु0शा0 इकाई को अवगत कराया जाये। डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर व्यापार स्थल की स्थानीय जॉच अधिकतम एक सप्ताह में पूरी करेंगे और इसकी रिपोर्ट संबंधित पंजीयन अधिकारी / कर निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर को भी प्रेषित करेंगें। संबंधित पंजीयन अधिकारी / कर निर्धारण अधिकारी सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए यू0पी0 वैट अधिनियम की धारा-17 तत्संबंधित नियम-32 के उप नियम-8 एवं 9 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। पंजीयन अधिकारी / कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी शाखा बढ़ाये जाने के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर संबंधित क्षेत्र के ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर तथा संबंधित क्षेत्र के खण्डाधिकारी को भी अवगत करायेंगे। ऐसे स्थानों की समय समय पर आकस्मिक जॉच (वि0अनु0शा0) इकाईयों द्वारा की जाती रहेंगी।

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 अपने स्तर से भी इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देशो का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेगें।

4/2

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4- संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।

5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कम्प्यूटर) / चेक पोस्ट-अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय-लखनऊ।

6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय-लखनऊ।

(पी0सी0 तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(चे0पो0)वाणिज्य कर

मुख्यालय, लखनऊ।